लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 1636
उत्तर देने की तारीख: 02.07.2019

सामाजिक कल्याण योजनाएं

1636. डॉ आलोक कुमार सुमन:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने कन्याओं के लिए बिहार सहित राज्य में विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाएं कार्यान्वित की हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कन्याओं हेतु कोई विशिष्ट योजनाएं हैं; और
(घ) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कितना आबंटन किया गया है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन करता है। छात्रावास की सुविधा प्रदान करने हेतु एक योजना है जिसके अंतर्गत बालकों एवं बालिकाओं के लिए पृथक रूप से छात्रावासों का निर्माण किया जाता है। इन योजनाओं में लिंग भेद नहीं किया जाता है। अत: इनमें बालकाओं को भी लाभार्थी के रूप में शामिल किया जाता है। ये योजनाएं बिहार सहित सम्पूर्ण देश में कार्यान्वित की जाती हैं।

(ग) और (घ) : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से बालिकाओं के लिए कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जाती है। तथापि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिहार सहित सम्पूर्ण देश में विशेष रूप से बालिकाओं हेतु समाज कल्याण योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। योजनाओं का नाम और उनके लिए किया गया आबंटन **अनुबंध** में दिया गया है।

******

अनुबंध

दिनांक 2.7.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1636 के भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	निधियों का आबंटन (करोड़ रुपए में)		
		2016-17	2017-18	2018-19
1	**<u>बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (बीबीबीपी):</u>** यह योजना 22.1.2015 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 0-6 वर्ष के आयु समूह में गिरते बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) को रोकने और बालिकाओं के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। यह योजना तीन मंत्रालयों के प्रयास यानि महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयास से संचालित की जा रही है। इस योजना के मुख्य घटकों में प्रारंभ में चुने गए 100 जिलों (जिनमें सीएसआर कम था) और वर्ष 2015-16 में इसमें जोड़े गए 61 और जिलों में राष्ट्रव्यापी जागरुकता सृजित करना, परामर्शी अभियान चलाना तथा बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई करना शामिल है। इस योजना को 161 जिलों में कार्यान्वित करने के उत्साहवर्धक परिणामों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 8 मार्च, 2018 को देश के सभी 640 जिलों (2011 की जनगणना के अनुसार) में बीबीबीपी योजना का विस्तार किया है। 405 जिलों को बहु क्षेत्रीय हस्तक्षेप, मीडिया तथा परामर्शी सेवा के माध्यम से कवर किया गया है और 235 जिलों को अलर्ट मीडिया तथा एडवोकेसी आउटरीच के माध्यम से कवर किया गया है। बहु क्षेत्रीय कार्रवाई में गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम को प्रभावी से लागू करना, मां की प्रसव पूर्व/प्रसवोपरांत देखभाल करना, स्कूलों में बालिकाओं के दाखिले में सुधार लाना, सामुदायिक सहभागिता/ प्रशिक्षण/जागरुकता सृजन आदि शामिल हैं। बीबीबीपी योजना को बिहार राज्य सहित देशभर में कार्यान्वित किया जा रहा है।	43.00	200.00	280.00

2	**<u>राष्ट्रीय क्रेच योजना :</u>** यह योजना 1.1.2017 से शुरू की गई थी और इसे कामकाजी महिलाओं के बच्चों (आयु: 6 माह से 6 वर्ष) को दिवा देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को अनुपूरक पोषण, स्वास्थ्य देखभाल इनपुट्स जैसे टीकाकरण, पोलियो की दवा, बुनियादी स्वास्थ्य निगरानी, सोने की सुविधा, शीघ्र उत्प्रेरण और 3-6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिए स्कूल जाने से पूर्व शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।	इस योजना में नवजात शिशुओं-बालकों और बालिकाओं को शामिल किया गया है, अत: बालिकाओं के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया गया है।